2.1.2 State Reservation Policy

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांक्ति आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्द्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

1- अनुसूचित जाति
2- अनारक्षित
3- अन्य पिछड़ा वर्ग
4- अनारक्षित
5- अनुसूचित जाति
6- अनारक्षित
7- अन्य पिछड़ा वर्ग
8- अनारक्षित
9- अन्य पिछड़ा वर्ग
10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

11- अनुसूचित जाति
12- अनारक्षित
13- अन्य पिछड़ा वर्ग
14- अनारक्षित
15- अनुसूचित जाति
16- अनारक्षित
17- अन्य पिछड़ा वर्ग
18- अनारक्षित
19- अन्य पिछड़ा वर्ग
20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
21- अनुसूचित जाति
22- अनारक्षित
23- अन्य पिछड़ा वर्ग
24- अनारक्षित
25- अनुसूचित जाति
26- अनारक्षित
27- अन्य पिछड़ा वर्ग
28- अनारक्षित
29- अन्य पिछड़ा वर्ग
30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
31- अनुसूचित जाति
32- अनारक्षित
33- अन्य पिछड़ा वर्ग
34- अनारक्षित
35- अनुसूचित जाति
36- अनारक्षित
37- अन्य पिछड़ा वर्ग
38- अनारक्षित
39- अन्य पिछड़ा वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
41- अनुसूचित जाति
42- अनारक्षित
43- अन्य पिछड़ा वर्ग
44- अनारक्षित
45- अनुसूचित जाति
46- अनारक्षित
47- अनुसूचित जनजाति
48- अनारक्षित
49- अनुसूचित जाति
50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
51- अन्य पिछड़ा वर्ग
52- अनारक्षित
53- अनुसूचित जाति
54- अनारक्षित
55- अन्य पिछड़ा वर्ग
56- अनारक्षित
57- अन्य पिछड़ा वर्ग
58- अनारक्षित
59- अनुसूचित जाति
60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
61- अन्य पिछड़ा वर्ग
62- अनारक्षित
63- अनुसूचित जाति
64- अनारक्षित
65- अन्य पिछड़ा वर्ग
66- अनारक्षित
67- अन्य पिछड़ा वर्ग
68- अनारक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

69- अनुसूचित जाति

70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

71- अन्य पिछड़ा वर्ग

72- अनारक्षित

73- अनुसूचित जाति

74- अनारक्षित

75- अन्य पिछड़ा वर्ग

76- अनारक्षित

77- अन्य पिछड़ा वर्ग

78- अनारक्षित

79- अनुसूचित जाति

80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

81- अन्य पिछड़ा वर्ग

82- अनारक्षित

83- अनुसूचित जाति

84- अनारक्षित

85- अन्य पिछड़ा वर्ग

86- अनारक्षित

87- अन्य पिछड़ा वर्ग

88- अनारक्षित

89- अनुसूचित जाति

90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

91- अन्य पिछड़ा वर्ग

92- अनारक्षित

93- अनुसूचित जाति

94- अनारक्षित

95- अन्य पिछड़ा वर्ग

96- अनारक्षित

97- अनुसूचित जनजाति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

98- अनारक्षित

99- अनुसूचित जाति

100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)

संख्या–978 / सत्तर–1–2019–16(29) / 2019

प्रेषक,

आर0 रमेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

लखनऊ : दिनांक : 02 सितम्बर, 2019

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

विषयः– उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 'केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019' में सीधी भर्ती के प्रकम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय/संस्था को इकाई मानते हुये आरक्षण लागू किया गया है।

2– 'केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019' के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 'अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय' को 'इकाई' मानते हुये सीधी भर्ती के प्रकम पर आरक्षण लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्कम में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित की गयी नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) में प्राविधानित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रकम पर कमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 27 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत आरक्षण तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–4 / 1 / 2002 / का–2 / 2019 टी0सी0 I दिनांक 13–8–2019 के माध्यम से सीधी भर्ती के प्रकम पर 100 बिन्दुओं का रोस्टर लागू होगा। कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत 100 बिन्दुओं के उक्त आरक्षण रोस्टर को उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के विभागों के नाम को हिन्दी वर्णमाला के वर्णानुकम अर्थात अ, आ, इ, ई .....के कम में व्यवस्थित करते हुये लागू किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर आरक्षण के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश अवकमित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(आर0 रमेश कुमार)
सचिव

संख्या 978(1) / सत्तर–1–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(5) सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(7) कार्मिक अनुभाग–2
(8) उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Roster G.O./c-3

Registrar
S.V.P. Uni. of Agri. & Tech.
Meerut-250110 (U.P.)